-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग करने वाले अभियुक्त को गिरवां पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का सोशल मीडिया सेल द्वारा लिया गया था संज्ञान। लाइसेंसी दोनाली बन्दूक बरामद।**

विवरण-पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना गिरवां पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें एक युवक हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा था। वीडियो को सोशल मीडिया टीम द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर थाना गिरवां पुलिस को जांच हेतु अग्रसारित किया गया था। जांच में पाया गया कि थाना गिरवां क्षेत्र के स्योढ़ा निवासी रियाज खां अपने पारिवारिक इरफान के मेहंदी रस्म कार्यक्रम के दौरान लाइसेंसी दोनाली बन्दूक से हर्ष फायरिंग कर रहा था। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया साथ ही हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त लाइसेंसी दोनाली बन्दूक को भी बरामद कर लिया गया है।

बरामदगी-

- 01 लाइसेंसी दोनाली बन्दूक (हर्ष फायर में उपयोग की गयी)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रियाज खां पुत्र इम्तियाज खां निवासी स्योढ़ा थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 95/25 धारा 288 बीएनएस व 3/25/30 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार तिवारी
2. कां0 प्रहलाद